पत्रांक 2066 /आयु0क0उत्तरा0/धारा–57–अनुभाग/वाणि0कर/2014–15/देहरादून ।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,

(धारा–57 अनुभाग)

देहरादूनः दिनांक : 08 ~~मई~~, जून 2016

प्रार्थना पत्र संख्या – 12/ 14-11-14

श्री अवलोक गोयल

द्वारा– सर्वश्री जयजयराम एण्ड संस, मैन बाजार, जसपुर।

उपस्थिति – श्री पी0के0 अग्रवाल, अधिवक्ता फर्म।

निर्णय का दिनांक – 08 ~~मई~~, जून 2016

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

व्यापारी द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनिमय 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत दिनांक 03.04.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र में व्यापारी द्वारा निम्न प्रश्न का उत्तर दिये जाने का अनुरोध किया गया थाः–

'' उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राज्य में 'नैरो बूवन फैब्रिक्स' की खरीद/बिक्री पर कर की दर क्या होगी? '' व्यापारी द्वारा किये गये प्रश्न के सम्बन्ध में दिनांक 18 जुलाई, 2014 को धारा–57 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया था। पारित आदेश में करदेयता के सम्बन्ध में निम्न मत धारित किया गया था–

'' व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न निर्णयों के अवलोकन से 'Narrow Woven Fabrics' को कपडे की श्रेणी में लिया जा सकता है, किन्तु जहां तक इस पर करदेयता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.07.2011 को जो विज्ञप्ति जारी की गयी थी, वह ''मूल्य वर्धित कर में अनुसूचियों में अन्यत्र परिभाषित नहीं है,'' कपड़े के लिये जारी की गई थी। सेन्ट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के अन्तर्गत ''नैरो बूवन फैब्रिक्स'' को टैरिफ आइटम ''58.06'' के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा–14 की मद–2(क) में ''सूती कपडे'' को ''अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में कतिपय माल के विशेष महत्व के माल'' होने के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है, तथा इस धारा के मद–2(क), जो सूती कपडे से सम्बन्धित है, में परिभाषित वस्तुओं में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची की मद सं0 58.06 को भी सम्मिलित किया गया है। धारा–14 में परिभाषित मद सं0–7 के अन्तर्गत मानव निर्मित कपडे (Man-made Fabrics) के अन्तर्गत मद संख्या 58.06 को भी सम्मिलित किया गया है। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या–40 के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा–14 में यथा विनिर्दिष्ट घोषित माल पर 5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गई है। इसी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 18 में ''सभी प्रकार के और सभी वर्णन के बैल्टिंग'' पर 5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 20.07.2011 को जारी विज्ञप्ति में ''नैरो बूवन फैब्रिक्स'' सम्मिलित नहीं है।

उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में '' नैरो बूवन फैब्रिक्स '' पर 5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।''

व्यापारी द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत दिये गये उक्त निर्णय से संतुष्ट न होने पर उनके द्वारा माननीय वाणिज्य कर अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल की गयी। माननीय वाणिज्य कर अधिकरण द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.11.2014 में निम्न प्रकार आदेश किये गये–

''आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा प्रश्नगत मामले में पारित विनिश्चय दिनांक 18.07.2014 को रद्द किया जाता है और मामला आयुक्त कर, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त वह इस बिन्दु पर अपना अभिमत स्थिर करें कि

O/C

'Narrow Woven Fabrics' कपडा (Textile) के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं और तद्नुसार मामले में पुनः सकारण विनिश्चय/आदेश (reasoned order) पारित करें।

प्रतिप्रेषित धारा–57 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुये। उनके द्वारा यह उल्लिखित किया गया कि फर्म द्वारा जिस वस्तु की बिक्री की जाती है, वह करमुक्त श्रेणी से आच्छादित होगी तथा उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 'Narrow Woven Fabrics' को करमुक्त मानते हुये अन्य कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा भी इस पर कोई कर आरोपित नहीं किया जा रहा है। कपड़े की श्रेणी में आने के कारण इस पर कोई करदायित्व नहीं है।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। दिनांक 18.07.2014 को धारा–57 के अन्तर्गत पारित आदेश में कहा गया था कि 'Narrow Woven Fabrics' को कपडे की श्रेणी में लिया जा सकता है अर्थात् यह कपड़ा है परन्तु विज्ञप्ति संख्या 795/2011/03(120)/XXVII (8)/2007 दिनांक 20.07.2011 द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(क) के क्रम संख्या–5 पर अन्तर्विष्ट प्रविष्टि '' सभी प्रकार का कपड़ा जो मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूचियों में अन्यत्र परिभाषित नहीं है'', का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि ऐसे कपड़े जो उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की किसी अन्य अनुसूची से आच्छादित हैं, उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनिमय 1956 की धारा–14 में अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तुओं की क्र0सं0 (2–क) में "Cotton Fabrics" व क्रम सं0 (7) में "Man-Made Fabrics" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1986 का 5) की अनुसूची की मद संख्या 58.06 में यथा परिभाषित है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत 'Narrow Woven Fabrics' को मद संख्या 58.06 के अन्तर्गत निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है–

"58.06. Narrow Woven Fabrics other than goods of heading 58.07; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)."

अतः ऐसी स्थिति में यदि 'Narrow Woven Fabrics', केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2–क) ''सूती कपड़े'' व उपधारा (7) ''मानव निर्मित कपड़े'' है, तो वह अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या–40 के अन्तर्गत आयेगी, जिस पर वर्तमान में 05 प्रतिशत की दर से करदेयता है। अन्य सभी प्रकार का कपड़ा जो मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूचियों में अन्यत्र परिभाषित नहीं है, उस पर कर देयता विज्ञप्ति संख्या 795/2011/03(120)/XXVII (8)/2007 दिनांक 20.07.2011 के अनुसार होगी, परन्तु उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.07.2011 को जारी उक्त विज्ञप्ति वर्तमान में स्थगित है।

तदनुसार व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 /दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर/बाजपुर/रूद्रपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर

अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
6- श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7- असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-3, काशीपुर।
8- नेशनल लॉ हाउस बी-2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
9- नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
10- लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
11- कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
12- विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड